रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 1992/वैशाख 1, 1914
No. 252] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 1992/VAISAKHA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1992

का. आ. 291 (अ) :-- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि कैप्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., जो कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक सरकारी कम्पनी है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में है, के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए और नीति तथा दक्षता और आर्थिक विस्तार एवं स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. तथा उसके सहबद्ध एककों के कार्यकरण में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपस्कर, कार्मिक और सामग्री के कम साधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए लोकहित में यह आवश्यक है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में है और उक्त कैप्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., जो स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी है, को एक कम्पनी से समामेलित किया जाना चाहिए ;

और प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की एक प्रति पूर्वोक्त कम्पनियों अर्थात् कैप्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. को आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करते हुए दो समाचार पत्रों में उसके प्रकाशन के लिए 5 जून, 1991 को भेजी गई थी;

और पूर्वोक्त कम्पनियों के समामेलन की स्कीम 13 और 14 जून 1991 को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी जिसमें आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे; और केन्द्रीय सरकार को 20 सितम्बर, 1991 तक समामेलन की स्कीम के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त दोनों कम्पनियों के समामेलन का उपबंध करने के लिए निम्न लिखित आदेश करती है; अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम :--इस आदेश का संक्षिप्त नाम कैम्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (समामेलन) आदेश, 1992 है।

2. परिभाषाएं :--इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) 'नियत दिन' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) 'विघटित कंपनी' से कैम्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि अभिप्रेत है;

(ग) "परिणामी कम्पनी' से स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड अभिप्रेत है।

3. (क) दोनों कम्पनियों का अंश (शेयर) धारण का स्वरूप :

(i) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (नियंत्रण कम्पनी) जैसा तारीख 31 मार्च, 1990 को था :--

अंश (शेयर) धारक का नाम	अंशों (शेयरों) की संख्या	रकम (रुपयों में)
भारत के राष्ट्रपति और उनके नाम निर्देशिती	3000000 (प्रत्येक 100 रुपए)	30,00,00,000

(ii) कैम्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (समनुषंगी कम्पनी) जैसा तारीख 31 मार्च, 1990 को था :--

अंश (शेयर) धारक का नाम	अंशों (शेयरों) की स.	रकम (रुपयों में)
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और उसके नाम निर्देशती	150000 (प्रत्येक 100 रुपए)	1,50,00,000

(ख) कैम्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. वाले पूर्णतः समादत्त सभी 150000 साधारण अंशों (शेयरों) को जो अब स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि, जिसके अन्तर्गत उसके नाम निर्देशिती भी हैं, के नाम में धारित हैं, रद्द कर दिए जाएंगे।

(ग) उपरोक्त कैम्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया की समस्त अंश (शेयर) पूंजी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के, जिसके अंतर्गत उसके नामनिर्देशिती भी है, नाम में धारित है, परिणामी कम्पनी से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह उन व्यक्तियों को, जिनके नाम नियत दिन के ठीक पहले विघटित कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में अंकित है, को कोई और सूचना भेजे।

4. कम्पनियों का समामेलन :

(i) नियत दिन से ही, कैम्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. का समस्त कारोबार और उपक्रम जहां पर भी है जिसके अन्तर्गत सभी संपत्तियां चाहे जंगम हो या स्थावर और अन्य आस्तियां चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जैसे मशीनरी और सभी स्थिर, आस्तियां, पटटे भूधृति, अधिकार शेयरों में विनिधान या अन्यथा व्यापार में स्टाक, कर्मशाला, औजार, अभिवहन में माल, सभी प्रकार के धनों के अग्रिम, बही-खाता ऋण, बकाया धन, वसूलीय दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय-पत्र और सभी बंधकों और प्रभारों और भाडमान के संबंध में प्रत्येक वर्णन के सभी अधिकार और शक्तियां और कैम्यू कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. की उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के सभी अधिकार (प्रत्याभूति और सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए) और कार्यवाही या विलेख के बिना प्रवृत्त विधि के अनुसार स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे और उसमें अन्तरित और निहित हुए समझे जाएंगे।

(ii) लेखा के प्रयोजनों के लिए समामेलन, दोनों कम्पनियों के 31 मार्च, 1990 को यथा विद्यमान सपरीक्षित लेखाओं और तुलनपत्र के प्रति निर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् संव्यवहारों को एक सामान्य लेखा में पूल किया जाएगा। विघटित कम्पनी से किसी पश्चात्-वर्ती तारीख को अपना अंतिम लेखा तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कम्पनी 31 मार्च, 1990 को यथा विद्यमान तुलन पत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण करेगी और उसके पश्चात के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेंगी।

स्पष्टीकरण

'विघटित कम्पनी के उपक्रम' के अन्तर्गत सभी अधिकार, शक्तियां, अधिकार और विशेषाधिकार और सभी संपत्ति, जंगम या स्थावर, जिसके अन्तर्गत नकद अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व अतिशेष, विनिधान और ऐसी संपत्ति में या उससे उदभूत होने वाले अन्य सभी हित और अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के हों, और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज तथा विघटित कम्पनी के उस समय विद्यमान सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं, चाहे वे किसी भी प्रकार की उस समय हों, आती है।

5 संपत्ति की कुछ मदों का अंतरण:--

इस आदेश के प्रयोजन के लिए नियत दिन को यथा विद्यमान विघटित कम्पनी के सभी लाभ या हानि या दोनों, यदि कोई हों, और विघटित कम्पनी के राजस्व आरक्षिती या घाटा या दोनों, यदि कोई हो, जब परिणामी कम्पनी को अंतरित होते है, तो वे परिणामी कम्पनी के यथा स्थिति लाभ या हानि और राजस्व आरक्षिती या घाटे का भाग रूप होंगे।

6 संविदाओं आदि की व्यावृत्ति --

इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार और अन्य लिखतें, चाहे वे किसी प्रकार की हो, जिनमें विघटित कम्पनी एक पक्षकार है, जो नियत दिन से ठीक पूर्व अस्तित्व में हैं या प्रभावी है, परिणामी कम्पनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतः प्रवर्तनशील और प्रभावी होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो परिणामी कम्पनी उनकी एक पक्षकार थी।

7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति :

यदि नियत दिन को, विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाही लंबित है तो वह विघटित कम्पनी के उपक्रम के परिणामी कम्पनी को अंतरित हो जाने के कारण या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपशमित नहीं होगी या उसे बंद नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी प्रकार से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु ऐसा वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही, परिणामी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी विस्तार तक जारी रखी जा सकेगी, अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से और जिस विस्तार तक वह विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती या अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकती थी, यदि यह आदेश नहीं किया गया होता।

8. कराधान की बाबत उपबंध :

नियत दिन से पूर्व विघटित कम्पनी द्वारा किए गए कारोबार के लाभों और अभिलाभों (जिनके अन्तर्गत संचित हानियां और अनामेलित अव-क्षयण भी है) की बाबत सभी कर परिणामी कम्पनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए संदेय होंगे, जो इस समामेलन के परिणाम-स्वरूप आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात की जाएं।

9 विघटित कम्पनी क विद्यमान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध

विघटित कम्पनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्ण-कालिक अधिकारी या कर्मचारी (विघटित कम्पनी के निदेशकों को छोड़कर) नियत दिन से परिणामी कम्पनी का यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और वह उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह, यदि यह आदेश नहीं किया गया होता, तो विघटित कम्पनी के अधीन धारण करता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक परिणामी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तें पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं।

10. निदेशकों की स्थिति .

विघटित कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए है, नियत दिन को विघटित कम्पनी का निदेशक नहीं रह जाएगा।

11. भविष्य निधि की सदस्यता

विघटित कम्पनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की स्कीम के अधीन उस कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे, जिसके वे सदस्य है और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के नियत दिन से उन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत, उन्हीं दरों पर, जिन पर विघटित कम्पनी द्वारा अभिदाय किया जाता था, उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजकों का अभिदाय करेगी और करती रहेगी।

12. कैश्यू कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. का विघटन

इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से कैश्यू कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड विघटित हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति विघटित कम्पनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध उसकी ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में न तो कोई दावा करेगा, न कोई मांग करेगा और न ही कोई कार्यवाही करेगा, सिवाय वहां तक जहां तक इस आदेश के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हो।

13. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण

केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली को इस आदेश की एक प्रति भेजेगी, जिसकी प्राप्ति पर कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली परिणामी कम्पनी द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा। उसके पश्चात् कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली अंतरक कम्पनी से संबंधित रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या उसके पास फाइल किए गए सभी दस्तावेज, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जिसके साथ अन्तरक कम्पनी का समामेलन किया गया है, की फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा।

14. परिणामी कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद :

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जिस रूप में नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे, नियत दिन से ही परिणामी कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे।

[ग 24/10/90—सी एल III]
वाई. ए. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 21st April, 1992

S.O. 291(E).—Whereas the Central Government is satisfied that for the purpose of securing the principal objects of the Cashew Corporation of India Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its Registered Office at Jawahar Vyapar Bhavan, Tolstoy Marg, New Delhi, and for the purpose of securing the use of scarce resources of equipment, personnel and material for ensuring co-ordination in policy and efficient and economic expansion and working of the State Trading Corporation of India Limited and allied units, it is essential in the public interest that the State Trading Corporation of India Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its Registered Office at Jawahar Vyapar Bhavan, Tolstoy Marg, New Delhi and the said Cashew Corporation of India Limited, a wholly owned subsidiary of the State Trading Corporation of India Limited should be amalgamated into a single company.

And whereas, a copy of the proposed Order was sent in draft to the aforesaid companies, namely, the Cashew Corporation of India Limited and the State Trading Corporation of India Limited on the 5th June, 1991 for its publication in two newspapers inviting objections|suggestions.

And whereas, the scheme of amalgamation of the aforesaid companies was published in two Newspapers on 13th & 14th June 1991 for inviting objections and suggestions; And whereas, no suggestion or objection has been received by the Central Government till the 20th September, 1991, in regard to the scheme of amalgamation from any person.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 396 of the said Act, the Central Government hereby makes the

following order to provide for the amalgamation of the said two companies, namely :—

1. Short Title.—This order may be called the Cashew Corporation of India Limited and the State Trading Corporation of India Limited (Amalgamation) Order 1992.

2. Definitions.—In this order, unless the context otherwise requires,

(a) "appointed day" means the date on which this order is notified in the Official Gazette.

(b) "dissolved company" means the Cashew Corporation of India Limited.

(c) "resulting company" means the State Trading Corporation of India Limited.

3.(a) The Share Holding Pattern of the two Companies :

(i) The State Trading Corporation of India Ltd. (holding company) as on 31st March, 1990.

Name of shareholder	Number of shares	Amount(Rs.)
President of India and its nominees	3000000 (Rs. 100 each)	30,00,00,000

(ii) The Cashew Corporation of India Limited (Subsidiary company) as on 31st March, 1990.

Name of shareholder	Number of shares	Amount(s)
The State Trading Corporation of India Limited and its Nominets	150000 (Rs. 100 each)	1,50,00,000

(b) All the 150000 equity shares of Rs. 100 each fully paid up in the Cashew Corporation of India Limited which are now held in the name of the State Trading Corporation of India Limited including its nominees shall be cancelled.

(c) Since the entire share capital of the Cashew Corporation of India is held in the name of the State Trading Corporation of India Limited including their nominees, the resulting company shall not be required to send any further notice to the persons, whose names appear immediately before the appointed day, in the Register of Members of the dissolved company.

4. Amalgamation of the Companies

(i) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of the Cashew Corporation of India Limited as where is, including all the properties, movable or immovable and other assets of what-so-ever nature e.g. machinery and all fixed assets, leases, tenancy, rights, investments in shares or otherwise, stock-in-trade, workshop tools, goods-in-transit, advances of monies of all kind book-debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements, industrial and other licences and permits, imports and other licences, letters of intent and all rights and powers of every description to all mortgages and charges and hypothecation, guarantees, and all rights whatsoever effecting the said properties of the Cashew Corporation of India Limited shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in the State Trading Corporation of India Limited in accordance with the law in force.

(ii) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with references to the audited accounts and balance sheets as on the 31st March, 1990 of the two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet as on the 31st March 1990 and accept full responsibility for all transactions thereafter.

Explanation.—The "Undertaking of the dissolved company" shall include all rights, powers, authorities and privileges and all property movable or immovable, including cash balances, reserves revenue balances, investments and all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to or be in the possession of the dissolved company immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. Transfer of certain items of Property.—For the purpose of this order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits or both, if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. Saving of Contracts etc.—Subject to the other provisions contained in this order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectively as if the resulting company had been a party thereto.

7. Saving of Legal Proceeding.—If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of dissolved company or

of anything contained in this order. But the suit, prosecution appeal or other legal proceeding may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company, if this order had not been made.

8. Provision with respect to Taxation.—All taxes in respect of profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. Provisions respecting existing Officers and other Employees of the Dissolved Company.—Every whole-time officer or employee (excluding the directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day in the dissolved company, shall, as from the appointed day, become an officer of employee as the case may be, of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions with the same rights and privileges as he would have held the same under the dissolved company, if this order had not been made, and shall continue to do so unless and until his employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10. Position of Directors.—Every director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. Membership of the Provident Fund.—All officers and employees of the dissolved company shall continue to be members of the Employee's Provident Fund under the scheme of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provision Act 1952 (19 of 1952) of which they are members and the State Trading Corporation of India Limited shall with effect from the appointed day of publication of this order in the Official Gazette make and continue to make the employer's contributions to the said Employee Provident Fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company.

12. Dissolution of the Cashew Corporation of India Limited.—Subject to the other provisions of this order, as from the appointed day, the Cashew Corporation of India Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or an officer thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

13. Registration of the Order by the Registrar of Companies.—The Central Government, shall as soon as, may be, after this order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Delhi and Haryana, New Delhi a copy of this order, on receipt of which the Registrar of Companies, Delhi and Haryana, New Delhi shall register the order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this order. Thereafter the Registrar of Companies Delhi and Haryana, New Delhi shall place all documents registered, recorded or field with him relating to the transferor company on the file of the State Trading Corporation of India Limited with whom the transferor company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file

14. Memorandum and Articles of Association of the Resulting Company.—The Memorandum and Articles of Association of the State Trading Corporation of India Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[No. 24|10|90-CL-I.I]

Y. A. RAO, Jt. Secy.

998 GI|92

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992